

04 $\frac{10}{23}$

पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता उभय पक्ष उपस्थित। वकील
वादी द्वारा वाद-पत्र धारा-151 CPC के अन्तर्गत
प्रस्तुत करने हेतु दफ्तर चला जा रहा है।
पत्रावली वादी के अन्तर्गत धारा-151 CPC के अन्तर्गत
31/10/2023 को पेश है।

S.D.O

31 $\frac{10}{2023}$

Not present

पत्रावली पेश हुई। उभय पक्ष उपस्थित। वकील
वादी द्वारा वाद-पत्र में Not-Process कर कोई
अतिरिक्त कार्यवाही नहीं चाहने हेतु निवेदन किया।
वाद-पत्र में वादी की ओर से कोई अतिरिक्त
कार्यवाही नहीं चाहने व वाद-पत्र में Not-Process
करने से पत्रावली इसी स्तर पर बिना में
खारिज की जाती है। पत्रावली कैसल शुमार
होकर दर्ज रजिस्टर से काम की जाकर
शामिल दफ्तर है।

उपखण्ड अधिकारी
रावतभाटा (चित्तौड़गढ़)

